न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–168/2019 (GCMS No. 2019/00173) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1 नगर परिषद करौली जरिये आयुक्त नगर परिषद, करौली (राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. यशवेन्द्रसिंह पुत्र श्री शिवचरणसिंह आयु 58 साल
2. श्रीमती छात्रीसिंह उर्फ धात्रीसिंह स्त्री बिक्रमसिंह आयु 29 साल
   अकबाम गूर्जर निवासी सर्किट हाउस के पास करौली तहसील व जिला करौली (राज.)

.....असल प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस

3. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील करौली (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी संख्या 2

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उप जिला कलक्टर करौली दिनांक 14.06.2016 मु.नं. 10/2016 उनवानी यशवेन्द्रसिंह बगैराह बनाम लैण्ड होल्डर बगैराह।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री हनुमान प्रसाद, वकील।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1–2 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार सोलंकी वकील।

नि र्ण य

दिनांक : 15.04.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायलय में असल रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 111 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 3 के विरूद्ध पेश किया। जिसके कोई सम्मन/नोटिस आदि अपीलांट को कभी प्राप्त नहीं हुये जिसके कारण अपीलांट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं हुई और अपना पक्ष/साक्ष्य रखने से वंचित रह गया तथा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से पैरवी हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार सोलंकी एडवोकेट हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय में असल रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 111 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 3 के विरूद्ध पेश किया। जिसके कोई सम्मन/नोटिस आदि अपीलांट को कभी प्राप्त नहीं हुये जिसके कारण अपीलांट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं हुई और अपना पक्ष/साक्ष्य रखने से वंचित रह गया। अपीलांट को उक्त प्रकरण की दर्शित की गई तामील सही सम्यक व पर्याप्त नहीं है तथा रेस्पोडेन्टस द्वारा साजपूर्ण तरीके से तामील कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तरीके से दर्शित कराई है। उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली दिनांक 08.06.2016 को तलवी में थी और दिनांक 14.06.2016 को गैरहाजिर बताकर आदेश पारित कर दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 एकतरफा में तैयार की गई थी। अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15.06.2016 को हुई जबकि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलांट के कर्मचारियों को यह बताया कि उनके हक में उपजिला कलक्टर करौली ने दिनांक 04.06.2016 को आदेश पारित कर दिया है। अपीलांट ने दिनांक 14.06.2016 को नकल का आवेदन किया दिनांक 17.06.2016 को आदेश की नकल प्राप्त होने पर कार्यालय आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने व विभागीय उच्चाधिकारियों से निर्देश व विधिक राय प्राप्त करने के बाद बिना देरी अपील पेश कर दी। अपील में हुई देरी के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अतः अपील में हुई देरी को कन्डोन करते हुये अपील मियाद शुमार फरमाई जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन एकतरफा कार्यवाही व आदेश दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जावे।
5. विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। दफा 5 के आधार सही नहीं हैं। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हकों पर क्या प्रभाव पडा है इसका अपील मीमों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कोई दस्तावेज पेश किया गया है। अपीलांट के हकों पर किस प्रकार प्रभाव पडा है यह अपील में लिखा जाना चाहिए। आदेश की पालना हो चुकी है। नगर परिषद ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कब्जा ले लिया। जब निर्णय से संतुष्ट नहीं थे तो प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए था। पट्टे क्यों जारी कर दिये। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नजीर यथा आरआरटी 2021(2) पेज संख्या 755 एवं आरआरटी 2016 (1) पेज संख्या 235 पेश कीं।

6. वकील अपीलान्ट द्वारा रिवीटल में कथन किया कि अपील मियाद के संबंध में अपील मीमों के पैरा संख्या 4 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि क्या प्रभाव पडा है। मौके पर कब्जा व काश्त अपीलान्ट की है। पक्षकार म्याद के बिन्दु नहीं उठाये तो भी म्याद के बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। क्योंकि दिनांक 14.06.2016 को किया गया जिसकी नकल दिनांक 17.06.2016 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 22.07.2016 को अपील पेश कर दी गई। प्रथम अपील प्रस्तुत करने का समय 30 दिवस है। इस प्रकार नकल प्राप्त होने और अपील पेश करने में लगभग 5 दिवस का बिलम्ब हुआ है, जिसका कारण विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करना एवं विधिक राय प्राप्त करना बताया है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान बकुलाय की बहस पर मनन किया तथा माननीय न्यायालय की प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर परिषद करौली के सम्मन तामील के बाद लौटकर प्राप्त नहीं हुये और न ही प्रोपर तामील हुई। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। जिसके कारण कोई भी साक्ष्य अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगर परिषद द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर एक तरफा बहस सुनकर निर्णय पारित किया है। 90 बी की कार्यवाही से भूमि नगर परिषद करौली के नाम दर्ज होनी होती है। 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी को केवल लिपिकीय त्रुटि को सही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

करने का अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत प्रकरण में नक्शे में रकवा परिवर्तन किया गया है जिसका पूर्ववर्ती रिकार्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं। मिलान क्षेत्रफल तथा बन्दोवस्त से पूर्व का नक्शे से भी मिलान नहीं किया गया है। न ही नगर परिषद सीमा में स्थित भूमि की नगर परिषद से कोई सहमति प्राप्त की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बन्दोवस्त से पूर्व के रिकार्ड एवं नक्शे से मिलान किये बिना ही पटवारी की रिपोर्ट पर निर्णय पारित किया है। जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

9. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 14.06.2026 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपजिला कलक्टर करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट (नगर परिषद करौली) को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करें एवं बन्दोवस्त से पूर्व के रिकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/4/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर